5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

182

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-[illegible]/15 निगरानी - 2621-II/2015

1-हरप्रसाद तनय स्व. मकुन्दी अहिरवार आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम चंदेरा खास तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ म.प्र.

2-रमेश तनय स्व. मकुन्दी अहिरवार आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम चंदेरा खास तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ म.प्र.

3-प्रेमनारायण तनय स्व. मकुन्दी अहिरवार आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम चंदेरा खास तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ म.प्र.

4-महिला लडुवा पुत्री मकुन्दी अहिरवार पत्नि बल्दू अहिरवार आयु 55 वर्ष निवासी चंदेरा खास हाल निवासी ग्राम बीरा तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी उ.प्र.

5-महिला रामप्यारी पुत्री स्व. मकुन्दी अहिरवार पत्नि गुन्चे अहिरवार आयु 50 वर्ष निवासी चंदेरा खास हाल निवासी ग्राम खरो तहसील पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र.

6-महिला गुड्डी पुत्री स्व.मकुन्दी अहिरवार पत्नि रिखन अहिरवार आयु 43 वर्ष निवासी चंदेरा खास हाल निवासी ग्राम खरो तहसील पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र.

7-महिला विमला पुत्री स्व. मकुन्दी अहिरवार पत्नि लक्ष्मन अहिरवार आयु 35 वर्ष निवासी चंदेरा खास हाल निवासी ग्राम बीरा तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी उ.प्र.

--पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1-कल्ला अहिरवार तनय अमान अहिरवार आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम चंदेरा खास तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ म.प्र.

2-म.प्र. राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक चंदेरा खास तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ म.प्र.

--उत्तरवादीगण

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2621-दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक के हस्ताक्षर
22-7-16	यह निगरानी नायव तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 15 अ-3/2009-10 में पारित आदेश दिनॉक 16-9-2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-1 बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने तथा अंत में पंजीकृत डाक से सूचना भेजने के वाद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने नायव तहसीलदार लिधौरा को भूमि सर्वे नंबर 2691 में से उसके स्वामित्व एंव कब्जे की भूमि को नक्शा में तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार लिधौरा ने प्रकरण कमांक 15 अ-3/2009-10 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त लिधौरा से प्रतिवेदन प्राप्त कर निम्नानुसार आदेश दिनांक16-9-2010 पारित किया हैः- " अतः राजस्व निरीक्षक लिधौरा व्दारा पेश तरमीम प्रतिवेदन दिनांक 9-6-2010 प्रादर्श अ, ब एंव स यथावत् स्वीकृत किया जाता है। राजस्व निरीक्षक लालस्याही से नक्शा दुरूस्त करे।"	

ग्वालियर

XXXI(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2621-दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	प्रकरण में संलग्न एंव लालस्याही से चिन्हित भूमि सर्वे कमांक 2691 नक्शा अक्स अनुसार बड़ा भू भाग है जिसमें से राजस्व निरीक्षक ने अक्स तैयार कर सर्वे नंबर 2691/4, 2691/8 लालस्याही से चिन्हित किये हैं और इसी चिन्हॉकन को नायव तहसीलदार ने आदेश 16-9-2010 से अंतिमता प्रदान की है। विचार योग्य है कि क्या किसी व्यापक भूखंड के सर्वे कमांक को नक्शे में सॅशोधन कर विभिन्न सर्वे कमांकों में बदलने हेतु नायव तहसीलदार सक्षम हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा सॅशोधन किया जाता है एंव इस धारा के अधीन बंदोवस्त के समय बंदोवस्त अधिकारी एंव बंदोवस्त समाप्ति के उपरांत कलेक्टर नक्शा सॅशोधन की अधिकारिता रखते हैं नायव तहसीलदार नक्शा सॅशोधन हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है जिसके कारण नायव तहसीलदार लिधौरा व्दारा प्रकरण कमांक 15 अ-3/2009-10 में पारित आदेश दिनॉक 16-9-2010 अधिकारिता-विहीन है।	
	4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 15 अ-3/2009-10 में पारित आदेश दिनॉक 16-9-2010 अधिकारिताविहीन पाये जाने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।	
	सदस्य	